स्थापित : 1919

(0121) 2642778,2666027 264044019,2641795

जिला सहकारी बैंक लि0, मेरठ

मुख्य कार्यालयः पश्चिमी कचहरी मार्ग, मेरठ (पो0बा0 नं0 72, मेरठ)

पत्रांक : मु0का0 / लेखा / 2022–23 / सी– 407

दिनांक : 01-3-2023

समस्त शाखा प्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि0, मेरठ,
जनपद मेरठ / बागपत,

विषय– **निक्षेप ब्याज दरों में संशोधन विषयक।**

बैंकों द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रेपों रेट, मुद्रा बाजार की वर्तमान स्थिति एवं स्थानीय स्तर पर ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन के दृष्टिगत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं0 आर0पी0सी0डी0एन0ओ0 डी0आई0 आर0बी0सी0 50 / 07 / 3801 / 94–95 दिनांक 17.10.94 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ब्याज निर्धारण कमेटी की बैठक दिनांक 28.02.2023 द्वारा लिये गये निर्णय के कम में बैंक के निक्षेपों में अधिकाधिक वृद्धि करने के साथ–साथ लागत में भी कमी करने के उद्देश्य से निम्नानुसार ब्याज दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। सावधि / आवर्ती निक्षेप की ब्याज दरों में किया गया परिवर्तन / संशोधन **दिनांक 03.03.2023** से जमा / नवीनीकृत होने वाले निक्षेपों पर प्रभावी होगा। :–

क्र0 सं0	खाते का प्रकार सावधि निक्षेप खाता (समयावधि)	दिनांक 05.11. 2022 से प्रभावी पूर्व ब्याज दरें (% में)	दिनांक 03.03.2023 से प्रभावी संशोधित ब्याज दरें। (% में)
(1)	7 दिन से 45 दिन	3.25	3.50
(2)	46 दिन से 90 दिन	4.00	4.50
(3)	91 दिन से 179 दिन	4.50	5.00
(4)	180 दिन और अधिक किन्तु एक वर्ष से कम	5.50	5.75
(5)	एक वर्ष और अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	6.50	7.05
(6)	दो वर्ष और अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	6.50	7.00
(7)	तीन वर्ष और अधिक किन्तु पॉच वर्ष से कम	6.50	7.00
(8)	पॉच वर्ष और अधिक	6.50	6.80
(9)	**विशेष निक्षेप अभियान–**		**400 दिन हेतु 7.20 %** **एवं** **666 दिन हेतु 7.35 %**

जमा राशियों के संबंध में उक्त के अतिरिक्त पूर्व की भॉति 50.00 लाख एवं उससे अधिक एवं 2.00 करोड़ से कम प्रत्येक एकल जमा पर 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज एवं बैंक स्टाफ को 1.00 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज तथा वरिष्ठ नागरिकों को एक वर्ष या उससे अधिक की मियादी जमा पर प्रदान की जाने वाली 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी। शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि सीमित अवधि के अन्दर शाखा के निक्षेप में गुणोत्तर वृद्धि करें एवं निक्षेप लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रचार–प्रसार का भी सहारा लिया जाये। जो शाखा प्रबंधक इस अवसर का भी लाभ लेने में असमर्थ रहते हैं उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतः संशोधित ब्याज दरों को शाखा के सूचना पट पर प्रदर्शित करते हुये उक्तानुसार अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

01-03-2023

सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेगासाफ्ट इन्फोरमेशन सिस्टम प्रा0लि0, 19, राममोहन राय मार्ग लखनऊ को उक्तानुसार संशोधन हेतु।
2. पैक्स सचिव / प्रभारी, संबंधित मिनी बैंक, जनपद मेरठ / बागपत।
3. अनुभाग अधिकारी (आई0टी0), बैंक मुख्यालय को उक्तानुसार संशोधन कराने हेतु।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, बैंक मुख्यालय।
5. समस्त उपमहाप्रबंधक बैंक मुख्यालय।
6. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, जनपद मेरठ / बागपत।
7. संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक, सहकारिता, मेरठ मण्डल मेरठ।
8. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला सहकारी बैंक लि0 मेरठ को उनके द्वारा दी गयी अनुमति के कम में अवलोकनार्थ।

01-03-2023

सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

e/shail/acount & audit/logo letter A4-39